

प्रेषक,
राम केवल,
विशेष सचिव,
उOप्रO शासन।
सेवा में,
मेला अधिकारी,
कुम्भ मेला,
प्रयागराज।

राजस्व अनुभाग-10
2024

लखनऊ: दिनांक: 19 जुलाई,

विषय- आगामी महाकुम्भ-2025 के अवसर पर तीर्थ यात्रियों/श्रद्धालुओं/स्नानार्थियों की अत्यधिक भीड़ के दृष्टिगत आपदा से बचाव की पूर्व तैयारी/क्षमता निर्माण हेतु मेला अधिकारी, प्रयागराज द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों को संचालित किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की कैपेसिटी बिल्डिंग मद-10 से धनावंटन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संO-1266/Mahakumbh-2025, दिनांक 27.06.2024, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आगामी महाकुम्भ-2025 के अवसर पर तीर्थ यात्रियों/श्रद्धालुओं/स्नानार्थियों की अत्यधिक भीड़ के दृष्टिगत आपदा से बचाव की पूर्व तैयारी/क्षमता निर्माण हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों को संचालित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद-10 से धनराशि रू0 2,30,38,000/- (दो करोड़ तीस लाख अड़तीस हजार रुपये) आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

विभाग: प्रयागराज मेला प्राधिकरण			
क्रOसंO	प्रमुख कार्य	संस्था का नाम	प्रस्तावित बजट
1.	डीडीएमए, मेला प्राधिकरण, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, नगर निगम, पुलिस इत्यादि विभिन्न विभागों के प्रमुख हित धारकों सहित भीड़ प्रबन्धन योजना के सम्बन्ध में समन्वय कार्यशाला	प्रयागराज मेला प्राधिकरण	1,65,38,000/-
2.	त्वरित प्रतिक्रिया दल हेतु एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ विभिन्न आपदाओं के सम्बन्ध में माॅकड्रिल का आयोजन	प्रयागराज मेला प्राधिकरण	32,50,000/-
3.	छात्र-छात्राओं/कुंभ सेवा मित्र एनसीसी/एनवाईकेएस एवं एनएसएस के	प्रयागराज मेला प्राधिकरण	32,50,000/-

वॉलेंटियरों सहित समुदाय स्तरीय टास्क फोर्स को प्राथमिक चिकित्सा तथा राहत एवं बचाव का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना।	
कुल अनुमानित व्यय	2,30,38,000/-

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 19-06-2024 में प्राप्त संस्तुति के क्रम में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 05.07.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तथा 30प्र0 राज्य आपदा प्रवन्धन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आगामी महाकुम्भ-2025 के अवसर पर तीर्थ यात्रियों/श्रद्धालुओं/स्नानार्थियों की अत्यधिक भीड़ के दृष्टिगत आपदा से बचाव की पूर्व तैयारी/क्षमता निर्माण हेतु मेला अधिकारी, प्रयागराज द्वारा उक्त प्रस्तर-1 की तालिका पर उल्लिखित विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों को संचालित किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं केपेसिटी विल्डिंग मद-10 से धनराशि ₹0 2,30,38,000/- (दो करोड़ तीस लाख अड़तीस हजार रुपये) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन मेला अधिकारी, कुम्भ मेला, प्रयागराज के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध-

- (1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रवन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइंस के अनुसार किया जायेगा। मेला अधिकारी, कुम्भ मेला, प्रयागराज द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइंस के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।
- (2) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
- (3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।
- (4) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईधन/मरम्मत/अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व मेला अधिकारी, कुम्भ मेला, प्रयागराज का होगा।
- (5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2025 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
- (7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये

और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि के सबंध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइड लाईन निर्गत किये गये हैं अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ₹ 2,30,38,000/- (दो करोड़ तीस लाख अड़तीस हजार रुपये) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-10 से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय मानक मद-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/वी-1-294/दस-2024--231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by भवदीय,
Ram Kewal

Date: 19-07-2024 (19-07-2024)

विशेष सचिव

संख्या:-1185(1)/एक-10-2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0, प्रयागराज।
- 2- स्टॉफ ऑफिसर मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
- 3- राहत आयुक्त, 30प्र0, लखनऊ।
- 4- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ
- 5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन।
- 6- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 8- राजस्व अनुभाग-11/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-06/08/2024

प्रेषण संख्या:- 1185
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1185
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
10 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	प्रयागराज-2878-मेलाधिकारी-कुम्भ , --01-1	वर्तमान	23038000	23038000
		प्रगामी	23038000	23038000
	योग	वर्तमान	23038000	23038000
		प्रगामी	23038000	23038000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ तीस लाख अड़तीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ तीस लाख अड़तीस हजार



(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन